The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932No. 400]NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में, क्रम संख्या 68 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :---

| क्रम सं. | उद्योग | पैरामीटर | मानक |
|----------|----------------|--------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| "68 | कार्बनिक रसायन | क-बहिस्राव मानक | |
| | उत्पादक उद्योग | | सांद्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, पी एच और बायोएस्से परीक्षण को छोड़कर |
| | | अनिवार्य पै | रामीटर |
| | | . पी एच | 6.5-8.5 |
| | | े बी ओ डी 3 दिन, 27°C | 100 |
| | | तेल एवं ग्रीस | 10 |
| | | बायोएस्से टेस्ट + | 100 प्रतिशत बहिस्राव में 96 घंटे के बाद |
| | , | | 90 प्रतिशत मछलियां अवशेष |
| | | अतिरिक्त रं | पैरामीटर |
| | | नाईट्रेट (N के रूप में) | 10 |
| | | आर्सेनिक (As के रूप में) | 0.2 |
| | | क्रोमियम (हैक्सावेलेंट) | 0.1 |
| | | क्रोमियम (कुल) | 1.0 |
| | | सीसा (Pb के रूप में) | 0.1 |
| | | साइनाईड (CN के रूप में) | 0.2 |

| (1) (2) | | (3) | | (4) | |
|---------|-----------------|-------------------------|---------------|---------------------------|--------------------------------|
| | | जस्ता (Zn के रूप में) | 5.0 | | |
| | | पारद् (Hg के रूप में) | 0.01 | | |
| | | तांबा (Cu के रूप में) | 2.0 | | |
| | | निकिल (Ni के रूप में) | 2.0 | | |
| | | फिनॉल्क्स (C H OH | • | | |
| | | के रूप में) | 5.0 | | |
| | | सल्फाईड | 2.0 | | |
| | | | + 2 | वायोएस्से परीक्षण IS:65 | 82-1971 के अनुसार संचालि |
| | | | कि | या जाए । | - |
| | | | ਟਿਾ | पण : | |
| * | | | (i) | इस समह में हेलो | एलिफेटिक, प्लास्टीसाईज |
| | | | | -1 | ल, फिनॉल्स, इस्टर, तेजाब अ |
| | | | | | और किटॉन), प्रतिस्थापि |
| | | | | | क (एल्कॉहल, ईस्टरस, तेज |
| | | , | · . | • | अमीनस् और एमाइड्स) अ |
| | | | | डिटर्जेन्ट उद्योग सम्मि | |
| | | | (ii) | यद्यपि रासायनिक अ | गक्सीजन मांग (COD) |
| | | | (11) | | खेत नहीं है, किन्तु COD |
| | | | | | । यदि उपचारित बहिस्राव |
| | | | | | मि.ग्रा./लीटर से अधिक है |
| | | | | | हेस्राव करने वाली संबंधि |
| | | · | | औद्योगिक इकाईयों क | ो ऐसे COD के लिये जिम्मे |
| | | | | रसायनों की पहचान व | करनी होगी । यदि ये खतरन |
| | | | | रसायन उत्पादन, भंडा | रण तथा आयात नियम, 19 |
| | | | | के अधीन विषैले रसा | यन के रूप में पाये जाते हैं |
| | | | | संबंधित उद्योग तृतीय | उपचार संयंत्र लगाएंगे । |
| | | | (iii) | उपर्युक्त मानक, लघु श्रे | रेणी के डिटर्जेन्ट सूत्रण इकाः |
| | | | | में लागू नहीं होंगे । | |
| | ख. | भस्मीकरण संयंत्र के र्र | लेये उत्सर्जन | मानक | |
| | | • | जब त | क अन्यथा उल्लिखित | जब तक अन्यथा उल्लिसि |
| | | | न हो, | सांद्रण सीमा मि.ग्रा./ | न हो, सैम्पलिंग अवधि मिन |
| | | | नार्मल | घन मी. में | में |
| | विविक्त | पदार्थ 50 | | 30 अथवा अधिक (| (सैम्पलिंग |
| | | | | के लिए लगभग 300 | 0 लीटर |
| | | | | उत्सर्जन) | |
| | HCl | 50 | | 30 | |
| | SO ₂ | 200 | | 30 | |
| | ŝ | 100 | | दैनिक औसत | |
| | • | वेक कार्बन 20 | | 30 | |
| | | यक्सीन्स एवं मौजूदा भ | म्मीकरण | 0.2 ngTEQ/Nm ³ | 8 घंटे |
| | | * संयंत्र | | | |
| | फयूरान्स | | | | |
| | ખયૂરાન્સ | नए भस्मी | करण | 0.1 ngTEQ/Nm ³ | 8 घंटे |
| | फयूरान्स | | करण | 0.1 ngTEQ/Nm ³ | 8 घट |
| | | नए भस्मी | | 0.1 ngTEQ/Nm ³ | 8 घट 2 घंटे |

| (1) | (2) | · | (3) | (4) |
|-----------|-----------|--|--|---|
| (1) | (2) | * विद्य | मान संयंत्र द्वारा डार | यक्सीन्स एवं फयूरान्स के लिए 0.1 ngTEQ/Nm ³ मानदंड का अनुपालन |
| • | | तारीख | 1 जनवरी, 2014 | के भीतर करेंगे । |
| | Sec. Sec. | टिप्पण | Π: | |
| | | (i) ₹ | तभी मानीटर किए ग | ाए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए । |
| | | (;;) 7 | रत्मर्जित गैस में का | र्बन डाईआक्साइड की सांद्रणता 7% से कम नहीं होगी । |
| | | (iii) 7 | पदि भस्मीकरण हेत | अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट वजन में 1% से कम हो तो, |
| | | | ट्वन चैम्बर भस्मी जन्मी चैम्बर में 85 | करण संयंत्र में सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि 60 ± 25°C और सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर 950°C का न्यूनतम तापमान बनाया थ सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नही |
| | | | होगा । | and the second |
| | | 文書意 | | अथवा |
| | | | डिजाईन किया जाप जिसके साथ गैस अ | करण संयंत्र में गैसीय संकटमय अपशिष्ट हेतु सभी सुविधाओं को इस तरह रगा ताकि कम्बशन चैम्बर में 950°C न्यूनतम तापमान बनाया रखा जा सब तवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं होगा । |
| | | | केवल ट्विन चैम्ब सुविधाओं को इस त कम्बशन चैम्बर 11 |) अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक हो त र भस्मीकरण संयंत्र में अपशिष्ट का भस्मीकरण किया जाएगा तथा सभ तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850 <u>+</u> 25°C और सेकेण्डन .00°C न्यूनतम तापमान बनाए रखा जा सके जिसके साथ सेकेण्डरी कम्बश ोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं होगा । |
| in the | | () | चन्यर्जन मार्जन के | लिए जो मार्जक हैं उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा । |
| | | (vi) | भस्मीकरण संयंत्रों । के साथ चलाया ज | (अर्थात् कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथन तएगा ताकि अपशिष्ट और भस्मीकरण राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC म हो और उनके भस्मीकरण क्षय की मात्रा का शुष्क भार 5% से कम हो मामले में यथास्थिति राख और अपशिष्ट का दुबारा भस्मीकरण किया जाएगा |
| | | (vii) | भस्मीकरण संयंत्र व | के लिये चिमनी को न्यूनतम ऊंचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी। |
| i seguri | | . ((1)) | | ग. भस्मीकरण संयंत्र के लिये बहिःस्राव मानक |
| | | (i) | | रालाई अपजल से उत्पन्न बहि:स्राव ढकी हुई नाली या पाईप नेटवर्क के माध्य |
| | | and a second | से बहाया जाएगा अ किया जाएगा । | और इसका शोधन ऊपर 'क' भाग में उल्लाखत बाहः स्राव मानका के अनुरू |
| | | (ii) | तल धलाई अपजल | 1 में कुल घुलित कणों (TDS) की मात्रा कच्चे जल में विद्यमान TDS की मा मे.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं होगी । |
| - <u></u> | | - Aller | a State State Street | घ, वर्षा जल |
| | | (i) | वर्षा जल को मार्ज दी जाएगी । | र्क जल और/अथवा तल धुलाई अपजल के साथ मिलने के लिए अनुमति न |
| | | (ii) | वर्षा जल को वर्षा | जल के 10 मिनट (घंटे का औसत) की संग्रहण क्षमता के एचडीपीई परत व से अलग नाली से बहाया जाएगा ।'' |

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; उसके पश्चात् सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल 1996 द्वारा संशोधित किए गए और अभी हाल में सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010 और सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fourth Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, in serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :---

| Sl. No. | Industry | Parameter | Standard | | |
|---------|------------------------------------|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | |
| "68. | Organic Chemicals Manufacturing | A. Effluent St | A. Effluent Standards | | |
| | Industry | | Limiting concentration in mg/1, except for pH and Bioassay test | | |
| | | Comp | oulsory parameters | | |
| | | pH | 6.5-8.5 | | |
| | | BOD 3 days, 27°C | 100 | | |
| | | Oil & Grease | 10 | | |
| | | Bioassay test + | Minimum 90% survival after 96 hours in 100% effluent | | |
| | | Addit | ional parameters | | |
| | | Nitrate (as N) | 10 | | |
| | | Arsenic (as As) | 0.2 | | |
| | | Chromium (Hexavalent) | 0.1 | | |
| | | Chromium Total | 1.0 | | |
| | | Lead (as Pb) | 0.1 | | |
| | | Cyanide (as CN) | 0.2 | | |
| | | Zinc (as Zn) | 5.0 | | |
| | | Mercury (as Hg) | 0.01 | | |
| | | Copper (as Cu) | 2.0 | | |
| | | Nickel (as Ni) | 2.0 | | |
| | | Phenolics (as C_6H_5 OH) | 5.0 | | |
| | | Sulphide | 2.0 | | |
| | | + The Bioassay test shall be c | onducted as per IS : 6582-1971. | | |
| | | Note: | | | |
| • | | aromatics (alcohols, phe | er this group include halo aliphatics, plasticizers, nols, esters, acids and salts, aldehydes and ketones), iphatics (alcohols, esters, acids, aldehydes, ketones, detergents. | | |
| | | If the COD in treated et units discharging such responsible for high CO defined under the Manuf | are not mentioned here but, COD shall be monitored ffluent exceeds 250 mg/1, the concerned industria effluent shall be required to identify chemicals D in effluent. In case, these are found to be toxic as acture, Storage and Import of Hazardous Chemicals red industry shall install tertiary treatment system. | | |
| | | (iii) The above mentioned detergent formulating ur | standards shall not be applicable to small scale | | |

| | TT - | a (1)] |
|-------|---------|-----------|
| , माग | II-खण्ड | 3(1) |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---------------------------|--|--|--|--|
| | B. Emission Standards for Incinerator | | | | | | |
| | | Limiting concentration in mg/Nm ³ , unless otherwise stated | | Sampling Duration in minutes unless otherwise stated | | | |
| | | Particulate Matter | 50 | 30 or more (for sampling about 300 litres of emission) | | | |
| | | HCl | 50 | 30 | | | |
| | | SO ₂ | 200 | 30 | | | |
| | | co | 100 | daily average | | | |
| | | Total Organic Carbon | 20 | 30 | | | |
| | | Total Dioxins Existing and Furans* Incinerator | 0.2 ngTEQ/Nm ³ | 8 hours | | | |
| | | New Incinerator | 0.1 ngTEQ/Nm ³ | 8 hours | | | |
| | | Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn +Ni + V + Cd + Th + Hg and their compounds | 1.5 | 2 hours | | | |

*The existing plant shall comply with norms for Dioxins and Furans as 0.1 ngTEQ/Nm³ by 1st January, 2014.

Note:

- (i) All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.
- (ii) The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.
- (iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in twin chamber incinerator shall be designed so as to achieve a minimum temperature of $850 \pm 25^{\circ}$ C in primary chamber and 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

or

all the facilities in single chamber incinerator for gaseous hazardous waste shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 950°C in the combustion chamber with a gas residence time not less than two seconds.

- (iv) In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of $850 \pm 25^{\circ}$ C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.
- (v) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher.
- (vi) incineration plants shall be operated (i.e. combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue, as the case may be shall be re-incinerated.
- (vii) The incinerator shall have a chimney of at least thirty meters height.

C. Effluent Standards for Incinerator

Note:

(i) Effluent from scrubber(s) and floor washing shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mention at 'A' above.

28266910-2

5

| 6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [Part II | | | | | [Part II—Sec. 3(i)] | | | |
|--|---|--------|--|---|---------------------------|--|--|--|
| (1) | (1) (2) (3) (4) | | | | | | | |
| | (ii) The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in waste water of floor washings s not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used. | | | | | | | |
| | D. Storm water | | | | | | | |
| | | Note : | | 4 | | | | |
| (i) Storm water shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor | | | | | er and/or floor washings. | | | |
| | | (ii) | | all be channellized through separate drains holding capacity of 10 minutes (hourly ave | | | | |
| | | | | | | | | |

[F. No. Q-15017/30/2009-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844(E), dated 19th November, 1986; and subsequently amended vide S.O. 433(E), dated 18th April, 1987; subsequently Schedule VII published vide G.S.R. 176(E), dated 2nd April, 1996; and recently amended vide G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated the 5th February, 2010 and G.S.R. 485(E), dated the 9th June, 2010.